

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 02.2.2012

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सन्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री जितेन्द्र सिंह लेब टेकनिशियन सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/70 गौधीनगर	31.10.2038	69/09
2.	श्री मनमोहन गौड वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/99 गौधीनगर	31.3.2025	132/09
3.	श्री कैलाश चंद मीणा वाहन चालक निदेशालय निरीक्षण विभाग जयपुर	4/100 गौधीनगर	28.2.2031	78/09

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

Eo

(मनफूल बैरवा)


शासन सहायक सचिव

ac(web)

A  
14-2-122/15  
15/2/12  
Om (ms)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क० रा० बी० औषधालय नं०-8, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, भूजल विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रधानाध्यापिका, राज० बा० प्रा० विद्यालय, जवाहरनगर,, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग, जयपुर को नियमानुसार किराया कटौती हेतु।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गाँधीनगर, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर,, जयपुर।
15. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
16. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सहायक सचिव